



पत्रांक :- 523/मु0अ0 (वा० एवं ऊ०ले०)/सी०यू०-दो/झटपट सं०

दिनांक : अप्रैल, 27, 2019

विषय:- "झटपट संयोजन" पोर्टल की Applicability एवं SOP (Standard Oparationg Procedure) के संबंध में।

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमोत्तर/पूर्वांचल/मध्योत्तर/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि०
मेरठ/वाराणसी/लखनऊ/आगरा

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

आप अवगत हैं कि विद्युत उपभोक्ताओं को त्वरित गति से विद्युत संयोजन देने हेतु 'झटपट संयोजन' पोर्टल uppcl.org पर विकसित किया गया है। आवेदक फार्म भरने से लेकर संयोजन निर्गत होने तक सभी चरणों का अनुश्रवण ऑनलाइन झटपट पोर्टल के माध्यम से स्वयं कर सकता है। इस पोर्टल पर उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

इस पोर्टल की अप्लीकेबिलिटी के संबंध में निम्नवत सूचनीय है:-

- 1- इस पोर्टल द्वारा मूलतः घरेलू वाणिज्यिक एवम् निजी संस्थान टैरिफ श्रेणियों अर्थात् LMV1 (upto 50 KW), LMV2 एवं LMV4b के विद्युत संयोजन निर्गत किये जायेंगे।
- 2- उ०प्र० शासन के उद्योग बन्धु द्वारा संचालित निवेश मित्र पोर्टल मूलतः निवेशकों/उद्योगों के संयोजन वाले उपभोक्ताओं हेतु प्रभावी है, अर्थात् LMV-1 (above 50 KW), LMV6, HV1 एवं HV2 टैरिफ श्रेणियों के संयोजन 'निवेश मित्र' पोर्टल के माध्यम से जारी किये जाने हैं।
- 3- निजी ट्यूबवेल के उपभोक्ता अर्थात् LMV5 श्रेणी के एवं सरकारी श्रेणी के उपभोक्ता इससे आवृत्त नहीं हैं।

संयोजन निर्गत करने हेतु निम्नवत SOP अपनायी जायेगी :-

1. सर्वप्रथम उपभोक्ता पोर्टल पर अपने को पंजीकृत कराकर online application पर समस्त वांछित सूचानायें एवं अभिलेख अपलोड करेगा।
2. आवेदन के पक्ष में Processing Fee का भुगतान आवेदनकर्ता द्वारा online किया जायेगा।
3. इस प्रकार Processing Fee जमा होने पर भुगतान की स्थिति सम्बन्धित वितरण खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता को पोर्टल पर अन्तरित हो जायेगी, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता के मोबाइल फोन पर एस०एम०एस० द्वारा भी सूचना प्रेषित होगी।
4. सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता विद्युत संयोजन सम्बन्धी आवेदन को सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवंटित करते हुये सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता द्वारा इन्स्पेक्शन हेतु दिए गये 3 विकल्पों में से सुविधानुसार प्रोसेसिंग फीस जमा करने के अधिकतम 3 दिनों के अन्दर इन्स्पेक्शन की तिथि निर्धारित कर पोर्टल पर अपलोड की जाये।
5. सम्बन्धित वितरण खण्ड प्रोसेसिंग फीस जमा करने के उपरांत स्थलीय जाँच अधिकतम 10 दिनों के अन्दर विद्युत आपूर्ति संहिता के खण्ड 4.4(c) के प्रावधानानुसार पूर्ण करायेगा। तत्पश्चात प्राक्कलित धनराशि को झटपट संयोजन पोर्टल पर विद्युत आपूर्ति संहिता खण्ड के खण्ड 4.7 (संलग्नक-1) एवं खण्ड 4.8 (संलग्नक-2) के अनुसार निम्नलिखित दिवसों में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेगा:-

(क) जहाँ Distribution mains के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता नहीं है- स्थलीय जांच के उपरांत अधिकतम 10 कार्य दिवसों में,

(ख) जहाँ Distribution mains के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है-

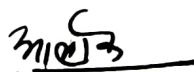
(i) स्थलीय जाँच के उपरांत अधिकतम 15 दिवसों में (एल०टी० आपूर्ति के लिए),

(ii) स्थलीय जाँच के उपरांत अधिकतम 30 दिवसों में (एच०टी० आपूर्ति के लिए)।

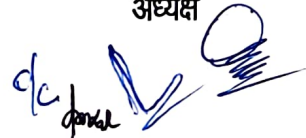
6. आवेदक को वितरण निगम के पर्यवेक्षण के अधीन एल0ई0सी0 के माध्यम से स्वयं इन कार्यों को निष्पादित करने का विकल्प होगा, जिसके लिए पर्यवेक्षण प्रभार, आपूर्ति संहिता के खण्ड 4.6 (इ) (ii) के प्रावधानानुसार, वितरण निगमों को संदेय होगा।
7. वांछित प्राक्कलित धनराशि जमा करने के लिये उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के प्रावधानानुसार निम्नवत् समय प्रदान किया जायेगा:-
(क) जहाँ **Distribution mains** के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता नहीं है- माँग-पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 7 कार्य दिवसों में,
(ख) जहाँ **Distribution mains** के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है- प्राक्कलन की 90 दिनों की वैलिडिटी अवधि में।
8. उपभोक्ता द्वारा वांछित प्राक्कलित धनराशि जमा कर दिये जाने के उपरान्त विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानानुसार वितरण खण्ड के अधिकारियों द्वारा संयोजन सम्बन्धी कार्रवाही करते हुये निम्नवत् उल्लिखित दिवसों में मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट जारी कर पोर्टल पर फीट/अपलोड किया जायेगा:-
(क) जहाँ **Distribution mains** के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता नहीं है (नये खम्भे या भूमिगत केवल बिछाए जाने की आवश्यकता नहीं है) - आवेदक द्वारा प्राक्कलित धनराशि जमा करने के अधिकतम 7 कार्य दिवसों में,
(ख) जहाँ **Distribution mains** के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है:
i. जहाँ लाइन के विस्तार या वितरण ट्रांसफॉर्मर के संवर्धन (augmentation) की अपेक्षा की जाती है- अधिकतम 60 दिनों में,
ii. जहाँ नया वितरण ट्रांसफॉर्मर स्थापना की अपेक्षा की जाती है- अधिकतम 120 दिनों में।
9. उपरोक्त प्रक्रिया की समाप्ति पर विद्युत संयोजन पूर्ण माना जायेगा।
10. 5 कि0वा0 भार तक के ग्रामीण एवं शहरी घरेलू बत्ती पंखा उपभोक्ताओं से नये संयोजन निर्गत करने हेतु लागू सुगम संयोजन योजना (संलग्नक-3) में उल्लिखित चार्ज की माँग की जानी है।
11. झटपट संयोजन पोर्टल पर लम्बित मामलों की मानीटरिंग हेतु प्रत्येक माह डिस्काम स्तर पर तैयार किया जाने वाला MIS (Management Information System) संलग्न (संलग्नक-4) किया जा रहा है।
12. निर्णय लिया गया है कि 01.07.2019 के पश्चात प्रदेश में समस्त विद्युत संयोजन ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही निर्गत किये जायेंगे।
13. इस पोर्टल पर किसी भी प्रकार की आई0टी0 सम्बन्धी असुविधा होने पर वितरण निगम में नामित अधिशाषी अभियन्ता आई0टी0 (बिलिंग) प्राथमिक रूप से समाधान हेतु उत्तरदायी होंगे। तदोपरांत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में पोर्टल हेतु उत्तरदायी अधिकारी-अधिशाषी अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन) समस्याओं का समाधान करायेगें।
14. सभी विद्युत वितरण उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी की Login ID एवं Password पूर्व में सूचित की जा चुकी है।
15. सभी विद्युत वितरण खण्डों के अधिशाषी अभियन्ता (वितरण) को "निवेश मित्र" पोर्टल हेतु जारी आई0डी0 एवं पासवर्ड ही इस uppccl.org पर उपलब्ध 'झटपट संयोजन' पोर्टल हेतु मान्य है।
16. उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर लम्बित नये विद्युत संयोजनों का अनुश्रवण अधिशाषी अभियन्ता (वितरण) द्वारा प्रतिदिन किया जायेगा।
17. अधिशाषी अभियन्ता (वितरण) के स्तर पर लम्बित नये संयोजनों का अनुश्रवण सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा किया जायेगा।
18. डिस्काम मुख्यालय द्वारा किये जाने वाला सूक्ष्म अनुश्रवण डिस्काम के मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) की इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।
19. समग्रता में वितरण क्षेत्रवार अनुश्रवण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मुख्यालय के मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) की इकाई द्वारा किया जाना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार नवीन 'झटपट संयोजन' पोर्टल पर ससमय संयोजन दिये जाने हेतु अपने डिस्काम के समस्त वितरण क्षेत्र के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि।


(आलोक कुमार)

अध्यक्ष



पत्र संख्या: 523, /मु0अ0 (वा0 एवं ऊ0ले0)/सीयू-दो/झटपट संयोजन तददिनांक: 27/04/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक महोदया, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य) पू0वि0वि0नि0लि0, पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, म0 वि0वि0नि0लि0, द0 वि0वि0नि0लि0, केस्को।
4. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ कि संलग्न MIS प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त किये जाने एवं पत्र में उल्लिखित अन्य प्रावधानों के लिए साफ्टवेयर में व्यवस्था करने का कष्ट करें।
6. इं0 वैभव चौधरी अधिशाषी अभियन्ता, आई.टी. इकाई, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
संलग्नक-यथोपरि।

मा.लाल

(आलोक कुमार)

अध्यक्ष

ध.क.पु.स.ह.